(जी.एस. संधावलिया, जे.)

समक्ष **जी. एस. संधवालिया और विकास सूरी, जे. जे.**

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य----------अपीलकर्ता

बनाम

प्रशांत कुमार सिन्हा और अन्य----------प्रतिवादी

2021 का सीडब्ल्यूपी नंबर 1596

7 मई , 2022

भारत का संविधान**, 1950-** अनुच्छेद **226** और **227-**सेवा नियम सभी परिणामी लाभों के साथ उप महाप्रबंधक **(**तकनीकी**)** के पद के लिए विचार **-**पद के लिए आवश्यक अनुभव **4** वर्ष है **-**परिपत्र दिनांक **25.03.1996** बशर्ते कि जब योग्यता पूरी करने वाले कनिष्ठों को पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो /पात्रता सेवा**,** वरिष्ठ नागरिकों पर भी विचार किया जाना चाहिए**,** बशर्ते कि वे अपेक्षित योग्य सेवा से आधे से अधिक ऐसी योग्यता/ पात्रता सेवा से कम न हों या **2** वर्ष जो भी कम हो **-** एक बार प्राधिकारी ने उक्त परिपत्र पर कार्रवाई कर दी है**,** उन्हें कोई शिकायत नहीं हो सकती है और उन्हें यह रुख अपनाने से रोका गया है कि यह वर्तमान याचिकाकर्ता पर लागू नहीं है **-** इसके अलावा सेवा नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया है **-** याचिका खारिज कर दी गई है**,** अधिकरण के आदेश की पुष्टि की गई है।

यह माना गया कि उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि प्राधिकरण केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों से बंधा हुआ है और जाहिर तौर पर उसी के अनुसरण में कुछ पदों के लिए बाद के समय पर कार्रवाई की है लेकिन छोड़ दिया गया है कुछ पोस्ट

(13 पैरा)

आगे कहा गया कि हमारी सुविचारित राय है कि कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है क्योंकि उक्त परिपत्र के चयनात्मक कार्यान्वयन के लिए ऐसा कदम उठाया गया था, जिसके तहत आवश्यक "नोट" को शामिल करके सेवा नियमों में संशोधन किया जाना था। इस तथ्य के बावजूद ऐसा नहीं किया गया है कि परिपत्र वर्ष 1996 में जारी किया गया था और इस प्रकार, परिपत्र की ताकत पर विचार करने के निर्देश देने वाले के अधिकरण आदेश में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है जो इस प्रकार प्राधिकरण पर बाध्यकारी होगा |

(14 पैरा)

पंकज गुप्ता वकील, याचिकाकर्ताओं की ओर से ।

राजेश गर्ग, वरिष्ठ अधिवक्ता, अरुण शर्मा, अधिवक्ता के साथ, प्रतिवादी नंबर 1 के लिए

जी. एस. संधावलिया, जे. (मौखिक)

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर वर्तमान याचिका में चुनौती केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ (संक्षेप में न्यायाधिकरण) द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.05 2019 (अनुलग्नक पी -4) को है, जिसमें, उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद के लिए निजी प्रतिवादी नंबर 1 पर उसके कनिष्ठों की पदोन्नति की तारीख से विचार करने और यदि योग्य पाए जाने पर उसे एक अवधि के भीतर इससे उत्पन्न होने वाले सभी परिणामी लाभों के साथ राहत देने के निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि।

(2) निजी प्रतिवादी के पक्ष में मूल आवेदन को अनुमति देने के लिए अधिकरण के पास जो तर्क था वह यह था कि हालांकि उसके पास प्रश्न में पद पर पदोन्नत होने के लिए प्रबंधक (तकनीकी) के रूप में अपेक्षित 4 साल का अनुभव नहीं था। उप महाप्रबंधक (तकनीकी), लेकिन उनके पक्ष में दिनांक 25.03.1996 (अनुलग्नक ए-4) का एक परिपत्र था, जिसके आधार पर उन्होंने मूल आवेदन को प्राथमिकता दी थी

(3) उक्त परिपत्र में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि जब योग्यता/पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों को पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, तो वरिष्ठ भी विचार किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, बशर्ते कि वे ऐसी योग्यता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अपेक्षित योग्यता सेवा से कम न हों। पात्रता सेवा या दो वर्ष, जो भी कम हो, और अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 1996 (24.08.2012 को संशोधित) (इसके बाद 'विनियम' के रूप में संदर्भित) के विनियम 22 पर भी भरोसा किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामले जो विशेष रूप से अधिनियम की धारा 35 के तहत बनाए गए विनियमों या उसके तहत बनाए गए या जारी किए गए किसी सामान्य, या विशेष आदेशों द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों द्वारा शासित होंगी। सामान्य तौर पर और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश। यह भी देखा गया कि आवश्यक अधिसूचना 13.02.2017 को जारी की गई थी और अधिसूचना का संदर्भ भी दिया गया था, जिसमें सरकार द्वारा जारी किए गए उक्त निर्देशों को शामिल करने के लिए भर्ती नियमों में इस हद तक संशोधन किया गया था।

(जी.एस. संधावलिया, जे)

विनियम संबंधित |

(4) याचिकाकर्ता-प्राधिकरण के वकील श्री पंकज गुप्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि विनियमों में बाध्यकारी बल होगा और इसलिए, निजी प्रतिवादी के पास नहीं होने पर अधिकरण ने मूल आवेदन को अनुमति देने में गलती की थी। प्रबंधक (तकनीकी) के पद पर अपेक्षित अर्हक सेवा श्री गुप्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि आवश्यक संशोधन अन्य पदों के लिए किए गए थे, न कि उप महाप्रबंधक के पदों के लिए और इसलिए, इसके अभाव में। विनियम और दिनांक 22.05.2017 के परिपत्र को किसी भी चुनौती के अभाव में, जिसके तहत आवेदन आमंत्रित किए गए थे, अधिकरण गलती में था। **2017** की संख्या ओ**.**ए**. 2120,** अब्दुल्ला जावेद आज़मी और अन्य बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसके तहत, अधिकरण की प्रधान पीठ ने 05 04 2018 को मामले का फैसला किया था, जिसमें मुद्दा उप महाप्रबंधक के पदों के लिए व्यक्तियों की पात्रता थी (तकनीकी) जिन्होंने नियमित सेवा की अपेक्षित अवधि पूरी नहीं की थी

(5) दूसरी ओर, श्री राजेश गर्ग, वरिष्ठ अधिवक्ता ने अधिकरण के आदेश का समर्थन करते हुए कहा है कि कार्रवाई का कारण उनके सामने तब आया जब कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया और दिनांक 25.03 के उक्त निर्देशों के आधार पर। 1996 में, उन्होंने इसका लाभ पाने के लिए मूल आवेदन दायर किया था और अधिकरण ने इसे उचित रूप से अनुमति दी है

(6) आक्षेपित निर्णय में दर्ज कारणों से, हमारी सुविचारित राय है कि इसमें कोई गलती नहीं की जा सकती है और बल्कि प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र से बंधा हुआ है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी सं. मैं 11.09.2014 को दिए गए नियुक्ति प्रस्ताव के अनुसार आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती के रूप में 25.11.2014 को प्रबंधक (तकनीकी) के रूप में शामिल हुआ। प्राधिकरण द्वारा परिपत्र दिनांक 22.05.2017 के माध्यम से उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे और अंतिम तिथि 02.06.2017 थी। जारी परिपत्र के अनुसार ही पदोन्नति हेतु 4 वर्ष की अर्हता सेवा निर्धारित की गई थी। वही इस प्रकार पढ़ता है

> "कम से कम 4 वर्षों की अवधि के लिए नियमित आधार पर प्रबंधक (तकनीकी) के पद पर रहने वाले और कॉलम 7 के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को पदोन्नति द्वारा।"

(7) इसमें कोई विवाद नहीं है कि 26.09.2017 को 39 व्यक्तियों की पदोन्नति नियमित आधार पर उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर 27.10.2017 को की गई और अन्य 25 व्यक्तियों (कुल 64 व्यक्तियों) की पदोन्नति पहले को ध्यान में रखते हुए की गई। अधिकरण द्वारा 29.01.2018 को पारित आदेश के बाद, मामले पर उत्तरदाताओं द्वारा विचार किया गया और प्रतिवादी द्वारा दायर अभ्यावेदन दिनांक 02.08.2017 और 03.11.2017 को 24/26.04.2018 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उनका मामला समान नहीं था। तीन अन्य अधिकारी जिन्हें उनकी पूर्व प्रतिनियुक्ति सेवा को नियमित सेवा के रूप में गिनाकर पदोन्नत किया गया था।

(8) परिणामस्वरूप, दिनांक 25.03.1996 के परिपत्र के आधार पर, मूल आवेदन विशेष रूप से आधार 5 में यह दलील देते हुए दायर किया गया था कि वह इसके लाभों का हकदार था। प्रश्नगत परिपत्र जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। कार्मिक, पीटी और पेंशनभोगी मंत्रालय इस प्रकार पढ़ता है: -

" संख्या एबी/14017/12/37-एस्टट (आरआर)

भारत सरकार

कार्मिक न्यूनतम. पी.जी. एवं पेंशनभोगी (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

****

नई दिल्ली**, 25** मार्च**, 96** कार्यालय ज्ञापन

विषय**:-**भर्ती नियमों के निर्माण/संशोधन/शिथिलीकरण के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन**-**जिन मामलों में कनिष्ठों पर विचार किया जाता है उनमें वरिष्ठों पर विचार।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के ओएम संख्या एबी/14017/12/87-स्था. में भाग III के पैरा 3.1.2 का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है। (आरआर) दिनांक 18 मार्च, 1988 जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि भर्ती नियमों में इस आशय का एक उपयुक्त "नोट" डाला जा सकता है कि जिन वरिष्ठों ने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है, उन्हें भी पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है, जबकि उनके कनिष्ठों ने अपेक्षित शर्तें पूरी कर ली हैं। सेवा पर विचार किया जा रहा है।

2. 1981 की सिविल अपील संख्या 2040-42 में बी प्रभा देवी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में 11 फरवरी 1986 के फैसले और आदेश पर 8 मार्च 1988 को निर्णय लिया गया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली और ओ.एम. की निरंतरता में

(जी.एस. संधावलिया, जे)

दिनांक 23.10.1989 के समसंख्यक पैरा 3.1.2 में सरकार ने संशोधन करने का निर्णय लिया है। इस विभाग के भाग III के ओ.एम. क्रमांक एबी/14017/12/37-एस्टट (आरआर) दिनांक 18 मार्च, 1988। तदनुसार, पैरा 3.1.2 का अंतिम वाक्य संशोधित होकर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा-

"ऐसी स्थिति से बचने के लिए भर्ती नियमों की अनुसूची में प्रासंगिक सेवा नियमों/कॉलम के नीचे निम्नलिखित नोट डाला जा सकता है।

जहां कनिष्ठ जिन्होंने अपनी योग्यता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे ऐसी योग्यता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो साल, जो भी हो, अपेक्षित योग्यता/पात्रता सेवा से कम न हों। कम है, और उन्होंने अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी योग्यता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।"

3. परिणामस्वरूप, इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन का पैरा 2.1.2. संख्या एबी/14017/12/37-एस्टी (आरआर) दिनांक 18 मार्च 1988 को उपरोक्त पैरा 2.1.2 के तीसरे वाक्य के बाद निम्नलिखित वाक्य को जोड़ने के साथ संशोधित भी किया जाएगा।

"प्रशासनिक मंत्रियों/विभागों को उपरोक्त संशोधित "नोट" को शामिल करने के लिए सभी सेवा नियमों/भर्ती नियमों में संशोधन करने का भी अधिकार है।"

एसडी/-xxxx

(टी.ओ.
थॉमस)

भारत सरकार के सचिव के
अधीन

सेवा मे,

सभी मंत्री/विभाग। भारत सरकार की

कॉपी -

1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 10, बहादर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

2. संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली, डब्ल्यू .आर. टी. उनका नंबर एफ. 1/1/93-एस.II दिनांक 27 नवंबर 1995। उपरोक्त निर्णय अनुमोदन से लिया गया है

सक्षम प्राधिकारी का.

एसडी/-xxxx

(टी.ओ.
थॉमस)

भारत सरकार के सचिव के अधीन

(9) यह दलील दी गई कि आवेदक की प्रासंगिक तिथि पर 2 वर्ष से अधिक की सेवा थी और परिपत्र के आधार पर उक्त पद पर विचार के लिए पूरी तरह से पात्र था जिसका लगातार पालन किया जा रहा था।

(10) अधिकरण के समक्ष प्राधिकरण के लिखित बयान में, उसने विशेष रूप से स्पष्ट कथन के अलावा पैरा नंबर 5 में परिपत्र की प्रयोज्यता से इनकार नहीं किया, कि मूल आवेदनों के मूल पैराग्राफ गलत हैं और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है।

(11) अभिलेख पुस्तिका के अवलोकन से पता चलता है कि अधिसूचना दिनांक 14.02.2013 के अनुसार, मुख्य महाप्रबंधक (योजना और सांख्यिकी), मुख्य महाप्रबंधक (मानकीकरण, अनुसंधान, विकास और) के पदों के लिए प्राधिकरण गुणवत्ता) और हिंदी अधिकारी ने अपने विनियमों में भारत संघ द्वारा निर्देशित आवश्यक "नोट" को शामिल किया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उन्होंने कुछ अन्य पदों के लिए उक्त परिपत्र पर कार्रवाई की, लेकिन संबंधित पद यानी उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के लिए कार्रवाई नहीं की। जाहिर है, ऐसी परिस्थितियों में लिखित बयान में उक्त परिपत्र की प्रयोज्यता के बारे में कोई विशेष खंडन नहीं किया गया है।

(12) इस प्रकार, अधिसूचना के अवलोकन से पता चलता है कि प्राधिकरण ने उक्त परिपत्र पर कार्रवाई की थी और इसलिए, अब वह पलट कर यह नहीं कह सकता या कोई शिकायत नहीं कर सकता कि उक्त परिपत्र लागू नहीं है और इस प्रकार इस तरह का रुख अपनाने से रोका गया है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 24 08 2012 को किए गए संशोधन में, विनियमन 22 जोड़ा गया था, जो इस प्रकार है: -

> "22. अवशिष्ट मामले अधिनियम की धारा 35 के तहत बनाए गए विनियमों या उसके तहत बनाए गए या जारी किए गए किसी भी सामान्य, या विशेष आदेशों द्वारा विशेष रूप से कवर नहीं किए गए मामलों के संबंध में, प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें लागू नियमों द्वारा शासित होंगी सामान्य तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश"

(13) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि प्राधिकरण केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए

निर्देशों से बंधा हुआ है और जाहिर तौर पर उसी के अनुसरण में कुछ पदों के लिए बाद के समय पर कार्रवाई की है, लेकिन कुछ पदों को छोड़ दिया है, जैसा कि ऊपर देखा गया है।

(14) ऐसी परिस्थितियों में, हमारी सुविचारित राय है कि कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है क्योंकि उक्त परिपत्र के चयनात्मक कार्यान्वयन के लिए लिया गया था, जिसके तहत आवश्यक "नोट" को शामिल करके सेवा नियमों में संशोधन किया जाना था। इस तथ्य के बावजूद नहीं किया गया कि परिपत्र वर्ष 1996 में जारी किया गया था और इस प्रकार, परिपत्र की ताकत पर विचार करने के निर्देश देने वाले अधिकरण के आदेश में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है जो इस प्रकार प्राधिकरण पर बाध्यकारी होगा।

(15) इस प्रकार, यह तर्क उठाया गया कि नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, जो आवश्यक संशोधन को शामिल करने में प्राधिकरण की निष्क्रियता के कारण पूरी तरह से किसी भी योग्यता से रहित है। इसी प्रकार, यह तर्क भी बिना किसी आधार के उठाया गया कि आवेदन आमंत्रित करने में कोई आपत्ति नहीं थी, जिसमें 4 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी। प्रतिवादी ने उसी के अनुसरण में आवेदन किया था और उसे पात्र नहीं माना गया था, उसके कनिष्ठों को विधिवत पदोन्नत किया गया था, जैसा कि 26.09.2017 और 27 10 2017 को देखा गया था, उक्त परिपत्र के आधार पर उस समय कार्रवाई का एक कारण उसके पास जमा हो गया था। उन्होंने उक्त लाभ के लिए आवेदन किया था लेकिन उनका मामला 24/26.04.2018 को खारिज कर दिया गया था, जो अधिकरण के समक्ष चुनौती का विषय था। इसलिए, श्री गुप्ता द्वारा उठाया गया यह तर्क कि उक्त परिपत्र को आवश्यक चुनौती दी जानी चाहिए थी, बिना किसी आधार के है।

(16) प्रधान पीठ के अब्दुल्ला जावेद आज़मी (सुप्रा) में उल्लिखित निर्णय से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। हमने वही देखा है, उक्त परिपत्र कभी भी चर्चा का विषय नहीं था और इसलिए, मामले को अलग करने के लिए इसकी कोई प्रयोज्यता नहीं होगी, जैसा कि श्री गुप्ता ने तर्क दिया है।

(17) ऐसी परिस्थितियों में, हमारी सुविचारित राय है कि अधिकरण का आदेश अच्छी तरह से स्थापित है और किसी भी अवैधता या अक्षमता से ग्रस्त नहीं है और एक अधिकार के आधार पर पारित किया गया है जो विनियमन 22 के अनुसार लागू करने योग्य है। तथ्य यह है कि भारत सरकार के निर्देश प्राधिकरण पर बाध्यकारी होंगे

(18) तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है

----------डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Ramphal Singh
Translator